

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2017/7066-81 जयपुर, दिनांक 29/06/2017

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
बाड़मेर/जैसलमेर।


विषय:- अभाव सम्वत् 2073 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त
ग्रामों में पशु शिविर संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अभाव सम्वत् 2073 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर
अभावग्रस्त ग्रामों में पशु शिविर संचालन के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में पशु शिविर
संचालन की स्वीकृति दिनांक 30.06.2017 तक जारी किए जाने हेतु आपको अधिकृत किया गया था।
उक्त समयावधि को दिनांक 15.07.2017 तक के लिए बढ़ाया जाता है।

इस सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।


भवदीय,


29/6/17

शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज., जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज., जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
9. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, बाड़मेर।
10. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
12. प्रोग्रामर, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. गार्ड फाईल।


शासन उप सचिव